Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Peer Reviewed Refereed Journal
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
DOI: https://doi.org/10.68868/14Js15aK43
www.jsecrjournal.in

भारत के नए आपराधिक कानून एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एक अध्ययन

शिव शंकर सरोज
असिस्टेंट प्रोफेसर,विधि विभाग –
महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज गंगापुर, वाराणसी
shivshankarsaroj@mbscollege.ac.in

सारांशिका
भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 औपनिवेशिक युग के कानून से आधुनिक नागरिक केंद्रित न्याय प्रणाली में परिवर्तन का प्रतीक है। यह कानून लगभग डेढ़ दशक से ज्यादा समय से लागू भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेते हैं। इन कानून में विशेष तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो पहले से ज्यादा तकनीक आधारित और उनमें तकनीकी की समावेशन की अधिक संभावना है, जिससे हमारी आपराधिक न्याय पद्धति पहले से अधिक सुलभ, सरल,एवं निष्पक्ष होने की ओर अग्रसर है।
इसी क्रम में यदि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का समावेशन करते हैं तो यह और भी सहज, सरल,एवं तेजी से आपराधिक मामलों का निपटारा करने में हमें सक्षम बनाती है। आपराधिक न्याय प्रणाली में ए आई का समावेशन अपराध के अन्वेषण, रोकथाम, निर्णय लेने की प्रक्रिया की क्षमता को अधिक बढ़ने की आवश्यकता पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 स्वच्छ संग्रह के लिए उन्नत तकनीक उपकरण शामिल करके न्यायिक कार्रवाई की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह वैश्विक स्तर पर आधारित मानक की जरूरत को पूरा करता है और न्याय प्रणाली को अपराध की उभरती हुई प्रकृति के अनुरूप ढलने में सक्षम है।
एआई तकनीक बड़ी मात्रा में कानूनी डाटा को संकलित एवं विश्लेषण करके न्यायाधीशों को निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को विवादों को निपटाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे भाषा की समस्या, वादों का लंबन और डिजिटल आधुनिकीकरण की आवश्यकता। इन सभी समस्याओं के समाधान एआई संचालित कुछ आधुनिक तकनीक के द्वारा किया जा सकता है।

मुख्य शब्द - आपराधिक न्याय प्रणाली, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तकनीक इत्यादि।

1.प्रस्तावना

"प्रौद्योगिकी पुलिस, फॉरेंसिक, जेल और न्यायालयों को एकीकृत करेगी साथ ही साथ उनके काम में तेजी लाएगी। हम एक ऐसी न्याय प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से भविष्य के लिए तैयार है।" ------ **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी**

जब कभी कोई नई तकनीक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आती है तो उसे पूरा विश्व प्रभावित होता है। मानव जीवन से जुड़े लगभग हर पहलू पर उस तकनीक का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह हमारी न्यायिक प्रणाली भी है जब जब कोई नई तकनीक आती है तो हमारी न्यायिक प्रणाली भी उससे अछूती नहीं रहती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार हमारी

विधिक प्रणाली पर भी पड़ा और हमारे देश में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 बना। और इसका सीधा प्रभाव उस समय लागू आपराधिक विधियों भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 पर भी पड़ा। इनमें संशोधन करके सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कई प्रावधान शामिल किए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं 2008 के संशोधन तथा अपराधिक विधियों में किए गए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, साइबर अपराध की परिभाषा, साइबर अपराध के लिए दंड, डेटा संरक्षण, ई-कॉमर्स, डिजिटल ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर आदि को विधिक मान्यता मिली। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो सबसे उभरती हुई एवं विकसित तकनीकी कृत्रिम बुद्धिमता है। एआई आज के दौर में लगभग सभी सेक्टरों में एक महत्वपूर्ण तकनीकी बन गई है। चाहे वह स्वास्थ्य विभाग को, वित्त विभाग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या कोई अन्य विभाग। इसी तरह हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में भी एआई की भूमिका विचारणीय है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने समझने और काम करने में सक्षम बनाती है। यह मशीनों को बहुत सारे डेटा जानकारी से सीखने में मदद करता है ताकि वह खुद से निर्णय ले सके। इसे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग भी कहा जाता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में एआई का आगमन अपराध के अन्वेषण, रोकथाम, निर्णय लेने की प्रक्रिया की क्षमता को अधिक बढ़ने की आवश्यकता पर आधारित है। न्यायिक क्षेत्र में किसी कानूनी पेशेवर को अधिक सुसंगत और निष्पक्ष निर्णय लेने में न्यायाधीश की सहायता के लिए भी एआई तकनीक पर विचार किया जा रहा है। एआई तकनीक बड़ी मात्रा में कानूनी डाटा को संकलित एवं विश्लेषित करके उसमें सुसंगत बिंदुओं को एक ही तरह के मामलों में विवादित टी तथ्यों का विश्लेषण करके न्यायाधीशों को निर्णय देने में सहायता कर सकता है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामलों की सुनवाई हो रही थी और जज को जमानत को लेकर फैसला लेना था। इस मामले पर फैसला देने से पहले जज ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (2023): "अपनी तरह के पहले" उदाहरण में, न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने "क्रूरता" से जुड़े मामलों के संबंध में जमानत न्यायशास्त्र पर विश्वव्यापी दृष्टिकोण को समझने के लिए चैटजीपीटी का उपयोग किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि एआई का उपयोग मामले की योग्यता तय करने के लिए नहीं, बल्कि केवल व्यापक परिप्रेक्ष्य के लिए किया गया था। (Mitra & Kashyap, 2026)

हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में विवादों को निपटाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसमें भाषा की समस्या का वादों लंबन और डिजिटल आधुनिकीकरण की आवश्यकता शामिल है। इन सभी समस्याओं का समाधान आई संचालित कुछ तकनीकियों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे - 1.मशीन लर्निंग (एमएल), ऑप्टिकल कैरक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), चैटजीपिटी , चैटबोट इत्यादि।

i. मशीन लर्निंग (एम एल)- यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रमुख शाखा है। इसके अनुप्रयोगों में प्रमुख है - चेहरा पहचान, डीएनए विश्लेषण, भाषा अनुवाद, एवं कानूनी दस्तावेजीकरण आदि सम्मिलित है।

ii. ऑप्टिकल कैरक्टर रिकॉग्निशन (ओ सी आर) - यह भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक प्रमुख शाखा है। इसके अनुप्रयोगों में प्रमुख है - टेक्स्ट इमेज स्कैन, डॉक्युमेंट, फोटो और पीडीएफ को मशीन में पढ़ने योग्य, संपादन योग्य, और खोजने योग्य डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करता है।

iii. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एन एल पी) - यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई) की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा (पाठ और भाषा) को समझने, व्याख्या करने, उत्पन्न करने और हेर फेर करने में सक्षम बनाती है। यह मानव संचार और कंप्यूटर की समझ के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। सोशल मीडिया पोस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और ईमेल जैसे बड़े असंगठित डाटा वॉल्यूम से विश्लेषण, संरचना और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है (Yadav & Kashyap, 2025)

2. भारत के नए आपराधिक कानून

भारतीय न्याय संहिता 2023 - भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है जिसने 1860 से भारत में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित किया था। भारतीय न्याय संहिता में विभिन्न सुधार पेश किए गए हैं जिसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रशासन को औपनिवेशिक कानून से मुक्त करना है। भारतीय न्याय संहिता में कुल 20 अध्याय एवं 358 धाराएं हैं, जिनमें अपराध की परिभाषा के साथ-साथ आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत मेंसरिया, एक्टस रिया, कारण, प्रतिरक्षा आदि सम्मिलित है। यह नया

कानून साइबर अपराध और आतंकवाद जैसी उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए तरह से तैयार है। यह कानून साइबर अपराध,आतंकवाद, व्यवस्थित अपराध, माबलिनचिंग, अभद्र भाषा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, एसिड हमले आदि जैसे नए अपराध का समावेश करता है।

बीएनएस राजद्रोह कानून को निरस्त करता है जो काफी विवादित था इसके स्थान पर भारत और उसके सहयोगियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के नए अपराध को मान्यता देता है। सामुदायिक सेवा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 एफ में एक नए दंड के रूप में बताया गया है। सामुदायिक सेवा को भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 23 के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार सामुदायिक सेवा वह कार्य है जो अदालत द्वारा किसी अपराधी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है जिसे समुदाय को लाभ होता है और इसके लिए वह किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। जेलो का बोझ कम करने के लिए सामुदायिक सेवा को पहली बार सजा के तौर पर शामिल किया गया है और इसे कानूनी दर्जा दिया गया है। सामुदायिक सेवा को छोटे अपराधो जैसे उदघोषणा के संदर्भ में अनुपस्थिति,आत्महत्या के प्रयास, लोक सेवक के कार्य में बाधा पहुंचाने, छोटे अपराध, नशे में धुत व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार एवं मानहानि के मामले में दंड के रूप में दिया गया है। यह डिजिटल धोखाधड़ी जैसे अपराध का समायोजन भी करता है जो तकनीकी के इस दौर में बहुत ही सुसंगत है।

बीएनएस की प्रमुख विशेषता दंडों के बारे में है जो प्रत्येक अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम सजा का प्रावधान करता है जो कि आईपीसी के विपरीत है जिसमें केवल अधिकतम सजा का प्रावधान था। यह पीड़ितों के हित में है और उनके लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह पर लाया गया है। इसमें कुल 39 अध्याय एवं 531 धाराएं हैं साथ ही साथ इसमें दो अनुसूची भी दी गई है। यह प्रक्रिया संहिता के कई प्रावधानों में संशोधन एवं निरस्त करके प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित एवं संशोधित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आरोपी एवं पीड़ित दोनों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रक्रिया को अधिक सुलभ,पारदर्शी,और कुशल बनाना है।

बीएनएसएस कानूनी प्रक्रियाओं के प्रवर्तन में डिजिटल और फोरेंसिक उपकरणों को शामिल करने पर जोर देता है और निष्पक्ष जांच एवं दक्षता में सुधार के लिए एआई संचालित तकनीक नवाचारों को शामिल करने को सुलभ बनाता है। इस संहिता में कुछ प्रमुख प्रावधान है जो आधुनिक तकनीक को शामिल करके आपराधिक न्याय प्रणाली में न्याय की मदद करने में सक्षम बनाते हैं। जैसे –

i. ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यक्तिगत हाजिरी – 530

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 530 के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति जांच विचरण एवं अन्य कार्यवाहियों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। इस तरह धारा 530 अभियुक्त गवाह एवं परिवादी को दूर से ही न्यायिक प्रक्रिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान करता है लेकिन इसके लिए पहली बार व्यक्ति की न्यायालय में भौतिक उपस्थिति आवश्यक है। यह प्रावधान आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनता है, पारदर्शिता में बढ़ोतरी और आरोपी व्यक्तियों को लॉजिस्टिक चुनौतियों को न्यायालय में लाने से दूर रखता है।

ii. इलेक्ट्रॉनिक समन धारा 63 -

यह धारा न्यायालय को उसकी मुहर या डिजिटल हस्ताक्षर की छवि के साथ इंक्रिप्टेड या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य रूप में समन जारी करने की अनुमति देता है। धारा 227 प्रावधान करता है कि समन या वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जारी किया जा सकता है।

iii. न्यायालय में अभियुक्त की इलेक्ट्रॉनिक उपस्थित धारा 251-

अभियुक्त व्यक्ति को आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया जाना चाहिए।धारा 251 के अनुसार इस उद्देश्य के लिए अभियुक्त व्यक्ति की न्यायालय में भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है धारा 251 की उपधारा 2 के अनुसार अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाने एवं समझने के लिए उसकी न्यायालय में हाजिरी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनिश्चित कराई जा सकती हैं।

iv. साक्षी आदि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज किया जाना धारा 254 -

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 254 के परंतुक के अनुसार साक्षी आदि के साक्ष्य को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी या किसी लोक सेवक के साक्ष्य को भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज किया जा सकता है।

v. गंभीर मामलों में फॉरेंसिक द्वारा साक्ष्य का संग्रहण - धारा 176 –

धारा 176 की उप धारा 3 यह प्रावधान करता है कि 7 वर्ष या उससे अधिक दंड से दंडनीय अपराध के मामलों में फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य को एकत्र करने के लिए घटनास्थल पर जाना बाध्यकारी है।

vi. साक्षी का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना धारा 308 –

धारा 308 के अनुसार विचरण या अन्य कार्रवाई में सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाए या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाए जिसमें ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम भी शामिल है इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान पर लिया जाए।

vii. न्यायालय का खुला होना धारा 366 –

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 327 में यह प्रावधान था कि बलात्संग एवं सामूहिक बलात्संग के मामलों की जांच एवं विचारण कैमरे में होगी लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 366 में यह प्रावधान किया गया है कि बलात्संग एवं पॉक्सो के अंतर्गत होने वाले अपराधों की जांच एवं विचारण कैमरे की नजर में होगी।

viii. ऑनलाइन एफ आई आर धारा 173 –

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में संज्ञेय अपराधों के संदर्भ में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 संज्ञेय अपराध से जुड़ी सूचना देने के संबंध में यह प्रावधान करती है कि ऐसी सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से भी दिया जा सकता है। ऐसी सूचना को रिकॉर्ड में रखा जाएगा यदि उसे देने वाले व्यक्ति के द्वारा तीन दिन के भीतर जाकर हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो ऐसी सूचना के सार को ऐसे अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा विहित पुस्तक में दर्ज किया जाएगा ।

ix. बलात्कार पीड़िता का बयान ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से दर्ज कराना अनिवार्य धारा- 176

धारा 176(1) का दूसरा परंतुक यह प्रावधान करता है कि बलात्कार पीड़िता का बयान मोबाइल फोन सहित किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुरानी साक्ष्य विधि का एक नया रूप है। इसमें कुल 170 धाराएं हैं जो चार भागों और 12 अध्याय में बटी हुई है और इसमें एक अनुसूची भी शामिल है।

यह अधिनियम साक्ष्य के संग्रहण विश्लेषण एवं न्यायालय में प्रस्तुत करने में प्रक्रिया को आधुनिक बनाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिजिटल साथियों को शामिल करने पर जोर देता है। इस प्रकार आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक विश्लेषण,डाटा संग्रहण और सबूतों के सत्यापन में एआई संचालित उपकरणों की आवश्यकता को मान्यता देता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान आधुनिक तकनीकी की आवश्यकताओं को स्वीकार्य एवं आवश्यक बनाते हैं।

i.- इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड्स - भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) (d) दस्तावेज शब्द की एक नई परिभाषा देता है। अब इस परिभाषा में दस्तावेज शब्द में विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी सम्मिलित है।

इस धारा का स्पष्टीकरण नंबर चार स्पष्ट करता है कि - ईमेल में रखे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सर्वरलाग,कंप्यूटर पर रखे दस्तावेज, लैपटॉप या स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, और वॉइस मेल संदेश जो किसी डिजिटल डिवाइस पर स्टोर हो दस्तावेज हैं।

ii. कानून की पुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप - कुछ परिस्थितियों में कानून की पुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप के साथ-साथ अदालत के फैसलों को भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राहय बना दिया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को पूर्ण कानूनी दर्जा देकर उन्हें भौतिक दस्तावेज के बराबर प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा दिया है इसमें ईमेल, सर्वरलाग स्मार्टफोन, डाटा, वेबसाइट सामग्री भी शामिल है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 एवं 63 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संदर्भ में नियम स्थापित किए गए हैं -

iii. धारा 62 के अनुसार - इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को धारा 63 में बताये गये तरीकों से साक्ष्य में साबित किया जा सकता है।

iv. धारा 63 के अनुसार - किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित कोई भी जानकारी जो कागज पर मुद्रित होती है ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया या सेमीकंडक्टर मेमोरी में संग्रहित रिकॉर्ड या कापी की जाती है जो कंप्यूटर या किसी संचार उपकरण द्वारा निर्मित होती है या अन्यथा किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित रिकॉर्ड या कॉपी की जाती है को भी एक दस्तावेज माना जाएगा।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की अदालती स्वीकार्यता से संबंधित है। यह कंप्यूटर, स्मार्टफोन या संचार उपकरणों से प्राप्त जानकारी को बिना मूल प्रति के ही साक्ष्य के रूप में मान्य करती है, बशर्ते वह निर्धारित प्रमाणन के साथ प्रस्तुत किया जाए।

इन सभी आपराधिक विधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने से हमें यह पता चलता है कि हमारी इस नई आपराधिक विधि में डिजिटल इंडिया विजन की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इन कानूनों में समाहित प्रावधानों को इस तरह से बनाया गया है जिससे आधुनिक तकनीकियों जिसमें एआई भी है, का उपयोग किया जा सके।

यदि हम आपराधिक प्रक्रिया (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) एवं साक्ष्य अधिनियम (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के प्रावधानों का अवलोकन करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं की जांच विचरण एवं अन्य सभी कार्यवाहियां जिसमें साक्ष्य का संग्रहण, पक्षकारों की परीक्षा, समन और वारंट जारी करना और अन्य कार्यवाहियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकती है। इस तरह से एआई तकनीकी के समावेशन की कुछ सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

4. अन्वेषण में एआई की भूमिका- जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे नए अपराधिक प्रक्रियात्मक कानून अन्वेषण की प्रक्रिया में तकनीकी के प्रयोग का समावेशन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एआई तकनीकी के माध्यम से हमारी पुलिस बड़ी मात्रा वाले डेटा का विश्लेषण बहुत जल्द कर सकते हैं। जैसे सीसीटीवी फुटेज, प्रशासनिक कार्यों के डाटा, कॉल लॉग, निगरानी फुटेज, रजिस्टर आदि। यह डीएनए फिंगरप्रिंट ,निगरानी फुटेज और फोरेंसिक विश्लेषण में भी मदद कर सकता है। (Mitra & Kashyap, 2026; Pandey, D.K. (2026).)

5. न्यायिक प्रक्रिया - एआई संचालित तकनीक दस्तावेजीकरण को स्वचालित करके मानवीय त्रुटियों को कम करता है और केस-फाइलों को व्यवस्थित करके अदालती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। साथ ही साथ यह न्यायाधीशों एवं वकीलों को विधि जैसे बृहद विषय से वाद विशेष के संदर्भ में सुसंगत सूचनाओं, वादविधियों ,पूर्व निर्णय एवं कानूनी संदर्भों को खोजने में सहायता करता है। जिसे अदालत की कार्रवाई को रफ्तार मिलती है तथा त्रुटि रहित निर्णय देने में सहायता मिलती है।

6. साक्ष्यों के संदर्भ मे - एआई तकनीकी के द्वारा गवाहों के व्यवहार और उनकी बातचीत करने के ढंग का विश्लेषण करके उनकी रचनात्मकता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। जिसकी द्वारा यह साक्षियों एवं साक्ष्य की प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है जो की साक्षी विधि का प्रमुख उद्देश्य है।

7. अपराध को रोकने में - एआई एल्गोरिथम पहले के डाटा और अपराध पैटर्न के आधार पर अपराध होने की संभावना और पैटर्न का अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह से एक ही तरह से होने वाले अपराधों को होने से पहले पुलिस कार्रवाई करके ऐसे अपराधों को होने से बचा सकती है। इससे सीरियल किलिंग और एक जैसी चोरी की घटनाओं को रोकने में अधिक सहायता मिलती है। सार्वजनिक स्थानों की निगरानी, चेहरे की पहचान, विश्लेषण और पैटर्न पहचान का उपयोग करके संदिग्धों की पहचान की जा सकती है। (Mitra & Kashyap, 2026)

8. सुधारात्मक सुविधाए एवं सुरक्षा - एआई सुधारात्मक सुविधाओं सुरक्षा में सुधार और कैदियों की जनसंख्या को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंध करने में न्यायपालिका की सहायता कर सकता है। सुरक्षा तकनीकी बढ़ाने और पुनर्वास प्रयासों के समर्थन के लिए सुधारात्मक सुविधाओं में एआई तकनीक को तैयार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कैदियों के व्यवहार को मॉनिटर करने के लिए तथा उनकी

निगरानी रखने के लिए एआई तकनीक पर आधारित एल्गोरिथम का उपयोग किया जा रहा है जो की संभावित सुरक्षा खतरे की पहचान और हिंसा की घटनाओं से बचने के लिए चेहरे की पहचान और व्यवहार विश्लेषण करता है। (Yadav & Kashyap, 2025)

9. निष्कर्ष -

हमारे नए आपराधिक कानून का विश्लेषण करने से हमें यह पता चलता है कि इसमें आधुनिक तकनीकी के द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली को संचालित करने की अनंत संभावनाएं हैं। इन कानून को आधुनिक तकनीकी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक को इसमें एकीकृत करने में सहायता मिलती है। हमारे आधुनिक आपराधिक न्याय पद्धति में आई की समावेशन से अपराध की होने के बाद उसकी जांच एवं विचरण की हर पहलू पर का प्रयोग करके इसे सहज सरल एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है। एआई उन अपराधों का पता लगा सकता है जिनका पता अन्यथा नहीं चल सकता और इससे अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। यह संभावित अपराधी गतिविधियों की जांच करके सुरक्षा प्रदान करता है जिससे कानून प्रवर्तन तंत्र पर लोगों का भरोसा बढ़ता है।

इसके प्रयोग से जांच विचरण एवं अन्य कार्यवाहियां जिसमें न्यायिक कार्रवाई भी शामिल है अधिक कुशल होगी। सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के लिए पुलिस एवं आपराधिक न्याय प्रशासन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्मिकों को अपना कार्य करने में अधिक सुविधा एवं सहूलियत होगी।

References

- Mitra, D. P., & Kashyap, A. K. (2026). Artificial Intelligence and Social Stratification: Sociological Concepts of Algorithmic Capital, Algorithmic Inequality, and Social Reproduction in India. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, *14*(10), 09–15. DOI: 10.35629/9467-14100915.
- Yadav, K., & Kashyap, A. K. (2025). Social media: A weapon of surveillance and mass mobilization. *Nav Jyoti, 13*(27), 1–8. DOI: 10.13140/RG.2.2.20266.38081.
- Pandey, D.K. (2026). Artificial Intelligence and Social Change: A SociologicalStudy in the Context of Indian Society. *Journal of Research in Humanities and Social Science,* Volume 14 ~ Issue 10, pp: 22-28. DOI: 10.35629/9467-14102228
- TAXMANN'S, All About New Criminal Laws, 2024, Taxmann Publication(P) Ltd.
- Dr. Snehal Fadnavis, Integration of Artificial Intelligence in New Criminal Laws in India: Challenges Ahead, International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal Volume 5, Issue 3, February 2025
- Situmeang, S. M. T., Harliyanto, R., Zulkarnain, P. D., Nahdi, U., & Nugroho, T. (2024). The Role of Artificial Intelligence in Criminal Justice, Global International Journal of Innovative Research, 2(8).
- Press Information Bureau, Digital transformation of justice: Integrating AI in India judiciary and law enforcement Posted on 25th Feb 2025 8.22 p.m. by PIB Delhi
- https://globalus.mellbaou.com/index.php/global/article/view/264
- https://ijarst.co.in/Paper23433.pdf
- https://bprd.nic.in
- https://prsindia.org
- https://www.cybercrime.gov.in